ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-1* Issue-12* March- 2017
Anthology : The Research

भारत में लैंगिंक विषमता : एक भौगोलिक विश्लेषण (भारत के विशेष संदर्भ में)

हमीद अहमद
विभागाध्यक्ष,
भूगोल विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
झालावाड़, (राज.)

रवीन्द्र मोदी
शोध छात्र,
भूगोल विभाग,
कोटा विश्वविद्यालय,
कोटा

सारांश

इस लघु शोध–पत्र में भारत के विशेष संदर्भ में भारत में लैंगिंग विषमता, लैंगिंग विषमता को प्रभावित करने वाले उत्तरदायी कारक एवं भौगोलिक विश्लेषण का अध्ययन किया गया हैं। लैंगिक विषमता का अर्थ लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, बहिष्कार या बंधन लगाने से है। जिसका प्रभाव किसी न किसी रुप में महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखना होता है अर्थात् महिलाओं को उनके अधिकारों और राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य क्षेत्र में मौलिक स्वतंत्रताओं के उपयोग से वंचित करना ही लैंगिक विषमता है। भारत में यद्यपि आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास एवं शिक्षा के स्तर में वृद्वि हुई है। परन्तु आज भी जीवन के अनेक हिस्सों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है। समाज में व्याप्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं, प्रथाओं, रुढियों आदि के कारण महिलाओं के विरुद्व अनेक भेदभाव किये जाते है। गर्भ में भ्रूण की जाँच से लेकर मृत्युपर्यन्त अनेक प्रकार की असमानताओं की कूर श्रृंखला देखी जा सकती है। इस लघु शोध–पत्र में समाज में फेली कुरीतियों, समाज में व्याप्त लैंगिक विषमता के दुष्प्रभावों तथा लैंगिक विषमता को दूर करने के उपायो को उद्देशित किया गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र में लैंगिक विषमता का भारत के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। लैंगिक विषमता के कारण समाज का सामाजिक, आर्थिक पिछड़ापन है अध्ययन में विभिन्न विधियों साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची आदि का उपयोग किया गया है तथा द्वितीय आंकड़ों को लघु शोध में प्रकाशित एवं अप्रकाशित स्रोतों, सरकारी कार्यालयों एवं अपेक्षित विभागों से एकत्रित कर उनको आधारभूत सांख्यिकी विधियों के द्वारा विश्लेषित व संश्लेषित किया गया। अध्ययन किये गये गांवों व शहरों में कई विविधतायें एवं समस्याये सामने देखने को मिली जो लैंगिक समानता की अवधारणा में एक रुकावट बन सकती है।

भारत में लैंगिक विषमता प्रमुख रुप से परिवारिक, वैवाहिक, शैक्षिक, आर्थिक, रोजगार, सम्पत्ति के अधिकार तथा राजनैतिक आदि विषमताओं के रुप में पाई जाती है। इन विषमताओं को कम करने हेतु विभिन्न उपाय शोध पत्र में सुझायें गये हैं।

मुख्य शब्द : लैंगिक, स्त्री, पुरुष, विषमता, पिछड़ापन, समाज, विविधता आदि।

प्रस्तावना

लैंगिक विषमता का अर्थ लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, बहिष्कार या बंधन लगाने से है। जिसका प्रभाव किसी न किसी रुप में महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखना होता है अर्थात् महिलाओं को उनके अधिकारों और राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य क्षेत्र में मौलिक स्वतंत्रताओं के उपयोग से वंचित करना ही लैंगिक विषमता है। भारत में यद्यपि आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास एवं शिक्षा के स्तर में वृद्वि हुई है। परन्तु आज भी जीवन के अनेक हिस्सों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है। समाज में सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त ना होने के कारण महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। समाज में व्याप्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं, प्रथाओं, रुढ़ियों आदि के कारण महिलाओं के विरुद्ध अनेक भेदभाव किये जाते है। गर्भ में भ्रूण की जाँच से लेकर मृत्युपर्यन्त अनेक प्रकार की असमानताओं की श्रृंखला देखी जा सकती है।

शोध का उद्देश्य

इस लघु शोध – पत्र का मुख्य उद्देश्य निम्न हैं–

1. समाज में फैली कुरीतियों का सिंहावलोकन करना।
2. समाज को लैंगिक विषमता के दुष्प्रभावों से अवगत कराना।
3. लैंगिक विषमता को दूर करने के उपाय सुझाना।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र में लैंगिक विषमता का भारत के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। लैंगिक विषमता के कारण समाज का सामाजिक, आर्थिक पिछड़ापन है इस हेतु देश के विभिन्न भागों में मेरे द्वारा स्वयं जाकर निरीक्षण किया गया जहाँ पर फैली लैंगिक विषमता के कारणों को साक्षात्कार द्वारा जाना गया एवं भौगोलिक स्वरुप का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्वति के आधार पर प्रारुप प्रयुक्त किया गया। अन्य सर्वेक्षण पद्वतियों का प्रयोग कर इस अध्ययन को अधिक विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक बनाया गया। इस लघु शोध अध्ययन में प्राथमिक व द्वितीय आंकड़ों (विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं) की सहायता से अन्वेषित किया गया। इसमें प्राथमिक आंकड़ों को यथायोग्य विधियाँ साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची आदि द्वारा एकत्रित किए गये तथा द्वितीय आंकड़ों को लघु शोध में प्रकाशित एवं अप्रकाशित स्त्रोतों, सरकारी कार्यालयों एवं अपेक्षित विभागों में जाकर एकत्रित किये गये एवं उनका विस्तृत अध्ययन कर आधारभूत सांख्यिकी विधियों के द्वारा विश्लेषित व संश्लेषित किया गया जिससे अध्ययन किये गये गांवों व शहरों में कई विविधतायें एवं समस्याये सामने देखने को मिली जो एक लैंगिक समानता की अवधारणा में एक रुकावट बन सकती है, ये प्रमुख चुनौतियाँ है, जिसका सामना करना जरुरी हैं।

लैंगिक विषमता के कारण

भारत में लैंगिक विषमता पाई जाती है, जिसके कई कारण है, जिन्हें निम्न बिन्दुओं की सहायता से समझा जा सकता है –

1. पुत्र की चाह
2. कन्या को कम महत्व देना
3. अन्धविश्वास
4. परिवार का अशिक्षित होना
5. पुत्र को बुढ़ापे की लाठी मानना
6. कन्या भ्रूण हत्या
7. समाज का पुरुष प्रधान होना
8. स्त्री को कमजोर वर्ग मानना आदि।

भारत में लैंगिक विषमता प्रमुख रुप से निम्न रुपों में विद्यमान है –

सामाजिक विषमता

भारत में विभिन्न प्रकार की सामाजिक परम्पराओं के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रिओं का सामाजिक स्तर तय किया जाता है। यद्वपि समाज का निर्माण पुरुष और स्त्रियों से ही होता है परन्तु सामाजिक परम्पराओं के अन्तर्गत निन्नलिखित विषमताएँ प्रमुख है –

परिवारिक विषमता

भारत के लगभग सभी समाजों में (नायर तथा खासी आदि जातियों को छोड़कर) पितृसत्तात्मक समाज महिलाएँ घरेलु उद्योग छोटे–छोटे व्यवसायों तथा अन्य संगठित क्षेत्रों में कार्य कर रही है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की महिला श्रमिकों में लगभग 87 प्रतिशत खेतिहर पाया जाता है। जिसमें पिता का स्तर माता की तुलना में उच्च होता है। इसी प्रकार पुत्री की तुलना में पुत्र तथा पत्नी की तुलना में पति को अधिक सम्मान व महत्व की दृष्टि से देखा जाता है। घर के सभी महत्वपूर्ण निर्णय पुरुषों द्वारा ही लिये जाते है, यहाँ तक की गृहस्थी के कार्य भी लिंग के अनुसार बांट दिये गये है। तथा घर के लगभग सभी कार्य करने के अपेक्षा स्त्रियों से ही की जाती है। वर्तमान में स्त्रियाँ घर से बाहर नौकरी करती है तब भी घर के कार्यों को गृहणी की भाँति कत्तर्व्यपरायणता से करने की अपेक्षा की जाती है।

वैवाहिक विषमता

भारत में विवाह के क्षेत्र में भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त है, पति के चयन में कन्या की इच्छा को महत्व नहीं दिया जाता है। विवाह विच्छेद के अधिकार भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक है कई समाजों में बहु पत्नी प्रथा भी पाई जाती हैं। विवाह के बाद वधु सामान्यतया अपने पति के माता–पिता के यहाँ आकर रहती है तथा स्वयं का घर छोड़ना पड़ता है, इसी प्रकार भारत की अधिकांश जातियों एवं वर्गों में विवाह के समय वर पक्ष वाले कन्या पक्ष से दहेज की माँग करते है जिससे कई बार गरीब परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत में बाल–विवाह की प्रथा का सर्वाधिक दुष्प्रभाव भी स्त्रियों को झेलना पड़ता है। पूर्व में प्रचलित सति प्रथा लैंगिक असमानता का अत्यन्त क्रूर उदाहरण हैं।

शैक्षिक विषमता

भारत में लड़कियों की तुलना में लड़कों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, तथा अधिक खर्च भी किया जाता है। अभी अधिकांश लोगों में यह भावना व्याप्त है कि लड़की तो पराया धन है जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा फलस्वरुप उसकी शिक्षा आदि पर खर्च करना व्यर्थ निवेश माना जाता है। जबकि लड़कों को अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है क्योकि उसे धन अर्जन का साधन समझा जाता है। इसलिये आज भी स्वतंत्रता के 69 वर्ष बाद भी पुरुष और महिला साक्षरता में अन्तर पाया जाता है। जो शिक्षा स्तर में विषमता का द्योतक है।

आर्थिक विषमता

भारत की श्रम शक्ति यद्यपि स्त्रियों का प्रमुख हिस्सा है, परन्तु आज भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की आर्थिक दशा दयनीय है। देश के अर्थ तंत्र में स्त्रियों की भागिदारी बहुत कम है। आर्थिक विषमताओं के अंतर्गत निम्नलिखित पक्ष महत्वपूर्ण है –

रोजगार में विषमता

महिलाएँ भारत में राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में यद्यपि 43 से 50 प्रतिशत योगदान देती है, परन्तु सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया जाता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कार्य की भागीदारी का अनुपात अधिक है विशेष रुप से शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत श्रमिक मजदूर है अर्थात रोजगार के स्तर एवं गुणवत्ता की दृष्टि से स्त्रियाँ पुरुषों से कही पीछे है। आज भी सामाजिक एवं आंकलनों में महिलाओं के योगदान को नकारा जाता है

आधुनिक अर्थ व्यवस्था में उच्च पदों पर स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है कई समाजों में महिलाओं को घर से बाहर जाकर नौकरी करने को हीन भावना से देखा जाता है, यहाँ तक की एक ही कार्य के लिए महिलाओं एवं पुरुषों के वेतन में अन्तर पाया जाता है।

सम्पत्ति के अधिकार में विषमता

सम्पत्ति के अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के उपरान्त भी महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया है। यद्यपि कानूनी तौर पर आज महिलाओं को सम्पत्ति का समान अधिकार प्राप्त है परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता। स्त्रियाँ जीवन पर्यन्त पुरुषों की दया पर आश्रित रहती है। विरासत में प्राप्त सम्पत्ति वैवाहिक सम्पत्ति अथवा स्वंय अर्जित सम्पत्ति पर भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त है। सामान्यतया पिता की सम्पत्ति का हस्तान्तरण पुत्र को ही होता है।

राजनैतिक विषमता

भारत में राजनैतिक दृष्टि से भी महिला एवं पुरुषों में अत्यधिक विषमता पाई जाती है, भारतीय संविधान में स्त्रियों की राजनैतिक सत्ता को मान्यता दिया जाता है। आज भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। राजनैतिक तंत्र के लगभग सभी स्तरों में महिलाओं की भुमिका में प्रयाप्त स्थान प्राप्त है। इसलिए महिला आरक्षण विधेयक की आवश्यकता पड़ी परन्तु वह भी विभिन्न राजनैतिक पार्टीयों के एक मत न होने के कारण पास नहीं हो सका। आज भी राज्य की विधान सभाओं तथा देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है किसी भी राजनैतिक पार्टी में पुरुषों के बराबर स्त्रियों को टिकट का आवंटन नहीं किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सरपंच पति प्रायः सुने जाते है, जो महिलाओं की राजनीति में भागीदार की कमी का द्योतक है।

अतः उपरोक्त वर्ण से स्पष्ट है कि भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में लैंगिक असमानता पाई जाती है जिसमें स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व प्राप्त है। लैंगिक विषमता के कारण समाज का संतुलित विकास नहीं हो पा रहा है। देश की लगभग आधी आबादी की क्षमताओं का उपयोग विकास कार्यो में नहीं हो पा रहा है। जिसका समग्र प्रभाव देश की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल रुप में पड़ रहा है।

लैंगिक विषमता को कम करने के उपाय

भारत में विभिन्न रुपों में विद्यमान लैंगिक असमानताओं के कारण लैंगिक विषमता निर्देशांक की दृष्टि से भारत का विश्व में 132वाँ स्थान है। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक जागरुकता अभियानों, समाज कल्याण सम्बन्धी योजनाओं, शिक्षा प्रचार–प्रसार तथा सरकारी स्तर पर स्त्री–पुरुष समानता के लिए किये गये प्रयासो के फलस्वरुप लैंगिक विषमता में कमी आई है। विशेष कर नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा के कारण अप्रत्याशित उपलब्धि प्राप्त हुई है परन्तु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति काफी दयनीय है। अतः इस दिशा में प्रभावी प्रयास किया जाना आवश्यक है। इस हेतु निम्नलिखित उपाय उपयोगी साबित हो सकते है –

आय एवं उत्पादकता की विषमता में कमी

भारत में प्रमुख रुप से आर्थिक पिछड़ेपन के कारण लैंगिक विषमता अधिक है अतः आर्थिक अवसरो एवं लाभों में स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। आय के साधनों में लिंग आधारित प्रभुत्व को कम किया जाना चाहिए तथा साथ ही उत्पादक साधनों तक महिलाओं की पहुँच में सुधार किया जाना चाहिए अर्थात पुरुषों की भाँति महिलाओं को आर्थिक संसाधनों का स्वामित्व प्रदान किया जाना चाहिए। इस दिशा में महिलाओं को रोजगार एवं सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए जिससे लैंगिक पक्षपात में सुधार हो सके।

घरेलू एवं सामाजिक भागीदारी की विषमता में कमी

भारत में पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर महिलाओं को काफी निम्न स्थान प्रदान किया जाता हैं जिससे वह सम्पूर्ण जीवन भर कुण्ठा एवं तनाव की स्थिति में रहती है। अतः समाज की मान्यताओं एवं विश्वास से उपर उठकर घरेलू मामलों में महिलाओं की आवाज को पुरुषों के बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। इस हेतु राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण, श्रम संगठनों एवं पेशेवर संगठनों में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

शिक्षा का प्रचार–प्रसार

समाज में व्याप्त लैंगिक विषमताओं को कम करने हेतु महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षित महिला स्वयं आर्थिक एवं राजनैतिक तंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम होगी। इसके अतिरिक्त वह अपने अधिकारों के प्रति सजग भी होगी तथा किसी भी स्तर पर होने वाले पक्षकार के विरुद्व आवाज उठाने का साहस कर सकेगी भारत में इसीलिए 14 वर्ष तक की लड़कियों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। महिला शिक्षा में प्रगति का प्रभाव वर्तमान में कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

मानव संसाधन/पूँजी में लैंगिक विषमता को घटाना

भारत जैसे परम्परावादी देश में आज भी लड़कियों की तुलना में लड़कों की शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर अधिक ध्यान दिया जाता है अभी भी कन्या शिशु की मृत्यु पर लड़की की तुलना में अधिक है, जिसका कारण लड़ाकों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना है। इसी प्रकार शिक्षा की प्राप्ति के अवसर में भी विषमता पाई जाती है। जिससे महिला एवं पुरुष के विकास में अन्तर बढ़ता जा रहा है। विभिन्न कार्य क्षेत्र में भी लड़कियाँ अथवा महिलाओं के साथ जौखिमपूर्ण व्यवहार होता है यहाँ तक की घरेलू कार्यों के लिए लड़कियों का आसानी से स्कूल छुड़वा दिया जाता है। जबकि लड़कों की शिक्षा के लिए सदैव प्रयास किये जाते है। अतः मानव पूँजी में व्याप्त इस विषमता को कम करने के लिए विभिन्न सेवाओं एवं सुविधाओं के सुधार के प्रयत्न किये जाने चाहिए।

निष्कर्ष

अतः सारांश रुप के लैंगिक विषमता जैसे अभिशाप को समाप्त अथवा कम करने के लिए व्यक्तिगत,

पारिवारिक, सामाजिक, तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिए जिसके अंतर्गत प्रमुख रुप से सामाजीकरण की प्रक्रिया को परिवर्तित किये जाने के साथ–साथ आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी तथा शिक्षा के प्रचार–प्रसार का प्रभावी प्रयास करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *Anand, S. & Sen, A.K.Gender Inequality in human development: Theory and development.*
2. *Anand,P.,G.Hunter,I.Carter,K. Dowding, F. Guala, and M. van Hee (2010). The Development of Capability Indicators, Journal of Human Development and Capabilities.*
3. *Cook, S. and S. Razavi (2012). Work and welfare. Revisiting the Linkages from a Gender Perspective. UNRISD Research Paper No.2012-7.*
4. *Pal.P., & Gosh. J., (2007) Inequality in India : A Survey of recent trends.*
5. *Ridgeway,C.,(1997), Interaction and conservation of gender inequality: Considering employment.*
6. *Ridgeway, C.(2011). Framed by Gender: How Gender Inequality in the Modern world. Oxford University Press.*
7. *S. Seguino,(2000), Gender inequality and ecomonic growth, Across Economy analysis.*
8. *Tijdens. K.G. and M. Van Kalveren (2012). Frozen in Time: Gender Pay Gap Unchanged for 10 Years. Brussels: Intenational Trade Union Congress (ITUC).*
9. *केलकर, गोविन्द और नाथन, देव (1990) जेंडर एंड ट्राइब, नई दिल्ली : काली फॉर वूमैन।*
10. *नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन सी आर बी). (1995) क्राइम इन इंडिया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
11. *कुडचेदकर, शिरिन और सबिहा अल–इसाक (1998) वायलेंस अगेन्स्ट वूमैन अगेन्स्ट वायलेंस। दिल्ली: पेनक्राफ्ट इंटरनेशनल।*
12. *तिवारी, स्मिता जस्सल (1998) कस्टम, लैंड ऑनरशिप एंड वूमैन : ए. क्लोनिल लेजिसलेशन इन एनॉर्थ इंडिया। सेंटर फॉर वूमैन डैवलपमेंट स्टडीज, नई दिल्ली।*
13. *अहमद, दरेज, हिल्स, सेन (इेडी) (1991) सोशल सिक्यूरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज।ऑक्सफोर्ड: क्लारेंडन प्रेस।*
14. *भटनागर, दीपक (1984) लेवर वेल्फेयर एंड सोशल सिक्यूरिटी लेजिसलेशन्स इन इंडिया। नई दिल्ली : दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स।*
15. *महिलाओं की स्थिति पर समिति, (1980) भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।*